किसी भी रखरखाव के लिए, वे उक्त उद्देश्य के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने के हकदार होंगे। किसी भी मामले में, यदि पत्नी द्वारा दायर मुकदमे में उसके पति के खिलाफ डिक्री हो जाती है, तो डिक्री पारित करते समय नाबालिगों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। इन टिप्पणियों के साथ यह पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है। चूंकि प्रस्ताव की सुनवाई के समय आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए पक्षों को 5 जून, 1989 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

पहले: जे. वी. गुप्ता, जे.

-कमलेश अरोड़ा,-याचिकाकर्ता।

बनाम

जुगल किशोर अरोड़ा, प्रतिवादी।

1989 का नागरिक संशोधन क्रमांक 892, 1 जून 1989।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV)–एस'। 24–नाबालिग पुत्री का माँ के साथ रहना–नाबालिगों को भरण पोषण अनुदान हेतु आवेदन–ऐसे आवेदन–की योग्यता।

यह माना गया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत एक आवेदन में नाबालिग बेटी भरण-पोषण की हकदार थी। नाबालिग बच्चे को कोई भरण-पोषण न देने में एल.डी. जिला न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से और भौतिक अनियमितता के साथ कार्य किया। नतीजतन, यह निर्देशित किया जाता है कि पत्नी द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 24 के तहत दायर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लिया जाए और आवेदन की तारीख से आवश्यक भरण-पोषण प्रदान किया जाए।

(पैरा 4).

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री के.के. अग्रवाल, जिला न्यायाधीश, भिवानी के न्यायालय के दिनांक 1 मार्च, 1989 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए आदेश दिया गया कि कम से कम रु. 1,000 (एक हजार) चाहिए

मुकदमे के खर्च के रूप में पति द्वारा पत्नी को भुगतान किया जाएगा। दावा:–हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका। 1955. पुनरीक्षण में दावा:–निचले न्यायालय के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एस.एस. सल्लर के साथ ओ. पी. गोयल। प्रतिवादी की ओर से जे.सी. नागपाल, अधिवक्ता।

फ़ैसला

(1) यह याचिका जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। भिवानी, दिनांक 1 मार्च, 1989, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 24 के तहत एक आवेदन में, पत्नी को कोई भरण-पोषण पेंडेंट लाइट और रुपये की राशि की अनुमति नहीं दी गई थी। मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 1,000 रुपये दिए गए।

(2) पत्नी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तथ्य की बात यह है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत नाबालिग बेटी को भरण-पोषण देने के लिए आवेदन दायर किया गया था, जो अपनी मां के साथ रह रही थी, लेकिन विद्वान जिला न्यायाधीश ने कोई अनुदान नहीं दिया। नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण और पत्नी को इस आधार पर गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया कि वह खुद कमाने वाली है। विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदन में एक नाबालिग बच्चा भी मुख्य किरायेदारी पेंडेंट लाइट का हकदार है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने श्रीमती का उल्लेख किया। उषा बनाम श्री सुदीर कुमार सोनेजा (1), चंद गुप्ता (श्रीमती) बनाम आदर्श पाल गुप्ता और अन्य

(2), पुष्पा देवी बनाम ओम प्रकाश (3^, थिमप्पा बनाम नागवेनी (4), और गुलाब चंद बनाम .संपति देवी (5).

(3) दूसरी ओर, प्रतिवादी-पति के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 24 के तहत आवेदन में, भरण-पोषण पेंडेंट लाइट केवल पत्नी को दिया जाएगा, नाबालिग बच्चे को नहीं। चूँकि पत्नी स्वयं कमाने वाली थी, इसलिए उसे भरण-पोषण की कोई अनुमति नहीं थी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने मोहन सिंह बनाम श्रीमती का हवाला दिया। पुष्पा देवी (6), डॉ. राजिंदर कुमार बत्ता बनाम डॉ. कांता कुमारी (7), और अकसम चिन्ना बाबू बनाम अकसम पारबती और अन्य (8)।

(4) श्रीमती मैं. उषा बनाम सुधीर कुमार (सुप्रा), इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले में, यह माना गया था कि -

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत बच्चा भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकता है और यह दोनों में से किसी एक का ही दावा है

दो पति-पत्नी जो दावा कर सकते हैं। साथ ही, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान किसी बच्चे के भरण-पोषण के लिए दावा किया जा सकता है और न्यायालय अधिनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी कार्यवाही में ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। अधिनियम, समय-समय पर, जहां भी संभव हो, नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में उनकी इच्छाओं के अनुरूप उचित और उचित लगता है।"

डिवीजन बेंच के फैसले के मद्देनजर, नाबालिग बेटी अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदन में भरण-पोषण की हकदार थी। मैं उक्त निर्णय से बंधा हुआ हूं और इसलिए, नाबालिग बच्चे को कोई भरण-पोषण न देकर विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से और भौतिक अनियमितता के साथ काम किया। नतीजतन, यह निर्देशित किया जाता है कि पत्नी द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण का

दावा करने की धारा 24 के तहत दायर की गई अर्जी पर नए सिरे से निर्णय लिया जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान किया जाए। सिविल पुनरीक्षण का तदनुसार निपटारा किया जाता है। पत्नी भी इस याचिका की लागत की हकदार होगी जो कि रुपये है। 500.

पी.सी.जी.

पहले: ए.एल. बहरी, जे.

राम चंदर और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 10069। 19 जुलाई 1989।

भारत का संविधान, 1950-कला. 14 और 226-पेंशन और ग्रेच्युटी- पात्रता-सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले जिला परिषद और जिला बोर्ड के साथ सेवा की अवधि-चाहे पेंशन आदि के लिए योग्य हो। सरकार समान लाभ की अनुमति देती है

पहले के मामले - भेदभाव - प्रांतीयकृत सेवा में बिताई गई अवधि को पेंशन लाभ में गिना जा सकता है।

माना गया कि जब राज्य सरकार ने हजारी लाई को प्रांतीयकृत सेवा का लाभ दिया, तो यह भेदभाव होगा

(1) 1975 H.L.R. I.

(2) 1986 (1) H.L.R. 460.

(3) 1985 (2) H.L.R. 327.

(4) 1976 H.L.R. 693.

(5) A.I.R. 1988 J&K 22.

(6) 1978 H.L.R. 586.

(7) 1979 H.L.R. 443.

(8) A.I.R. 1967 crl. 163.

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

(Trainee Judicial

Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा